

२५

20.8.24

पत्रावली पेश हुई। वादी या मय अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बोल-बोल व दक-दककर आवाज लगने पर वादी या व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। कतः वादी या का ब्याद अदम हाजरी व अदम पेशी में खारीज किया जाता है।

✓

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा